बिहार सरकार

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–800015

पत्रांक : पी०एच०/बि०ज०स्व०मि०–103/2007– 09 दिनांक 10.1.2008

प्रेषक,

शशि शेखर शर्मा

सचिव–सह–अध्यक्ष,

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप–विकास आयुक्त।

विषय : निजी भवनों में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के संबंध में।

महोदय,

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण एक महत्त्वपूर्ण अवयव है। इस अभियान के तहत सरकारी भवनों में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण का 5000/– रू० का मानक प्राक्कलन बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या– पी०एच०/बि०ज०स्व०मि०–103/07–524 दिनांक 23.11.2007 के द्वारा प्रचारित किया जा चुका है।

2. कई आँगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों में अवस्थित हैं जिनमें शौचालय का निर्माण भारत सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में उपरोक्त अभियान के तहत कराने में व्यवहारिक कठिनाई महसूस की जा रही है। इस परिस्थिति का निदान यही है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं लोहिया स्वच्छता योजना के तहत निर्माण कार्य कराये जायें। जिन निजी भवनों में आँगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, उनके स्वामी या तो ए०पी०एल० श्रेणी में होंगे या बी०पी०एल०। संप्रति कार्यान्वित योजनाओं में दोनों ही श्रेणी के व्यक्तियों के शौचालय निर्माण का प्रावधान है। शर्त्त सिर्फ इतनी होगी कि ऐसे गृहस्वामी के घर में पूर्व से शौचालय नहीं हो।

3. इस आलोक में निजी भवनों में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान "लोहिया स्वच्छता योजना" के तहत "ऑफ द पिट" मॉडल के शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। यदि निजी भवन के स्वामी बी०पी०एल० हैं, तो उन्हें 2000/– रू० के मॉडल के लिए 1700/– रू० का प्रोत्साहन राशि देय है एवं शेष 300/– रू० लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। इसी प्रकार यदि निजी भवन के स्वामी ए०पी०एल० हैं, तो उन्हें उक्त मॉडल के लिए 1500/–रू० का प्रोत्साहन राशि देय है एवं शेष 500/–रू० लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। इस प्रकार शौचालय रहित सभी निजी भवनों में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों में अनिवार्य रूप से शौचालय का निर्माण सुनिश्चित कर लिया जाय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह देख लेना होगा कि उस गृहस्वामी के घर में पूर्व से शौचालय नहीं हो एवं वे अन्य प्रकार से योग्य हों।

विश्वासभाजन
9/1/08
(शशि शेखर शर्मा)

ज्ञापांक: पी0एच0 / बि0ज0स्व0मि0—103 / 2007— 09 दिनांक:— 10.1.2008

प्रतिलिपि:— सभी कार्यपालक अभियंता—सह—सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी जिला परियोजना पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/08
(शशि शेखर शर्मा)

ज्ञापांक: पी0एच0 / बि0ज0स्व0मि0—103 / 2007— 09 दिनांक:— 10.1.2008

प्रतिलिपि:— निदेशक आई0सी0डी0एस0, तीसरी मंजिल, इन्दिरा भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

9/1/08
(शशि शेखर शर्मा)